GCMS No.- 2023/300

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

ईश्वरराम बनाम कालुराम

किस्म मुकदमा–225 आरटीए **नम्बर.62/2023**
जीसीएमएस संख्या..................2023 300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10–10–23	अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई, जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18–10–2023 को पेश हो।	
18–10–23	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही करमीसर के खेत खसरा नम्बर 49/52 तादादी 62 बीघा खाम जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 37 तादादी 36 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट् की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा मौके पर अपीलांट् का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आराजी जैर के बाबत् स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त स्थगन की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर अमादा है तथा अपीलांट् को उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित कर रहा है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने की मांग किये जाने के बावाजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक उक्त एकतरफा स्थगन आदेश पर सुनवाई नहीं करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को परोक्ष रूप से बेजा फायदा पहुॅचाया जा रहा है। सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि किसी भी एकतरफा स्थगन आदेश पर 30 दिवस के भीतर–भीतर सुनवाई करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04–01–2023 आदेश पारित करने के दस माह व्यतीत होने के उपरान्त भी किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की अनदेखी किये जाने की श्रेणी में	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट् को उसके खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित किया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–01–2023 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को स्थगन प्रार्थन पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही करमीसर के खेत खसरा नम्बर 49/52 तादादी 62 बीघा खाम जिसके उपनिवेशन खसरा नम्बर 37 तादादी 36 बीघा 2 बिस्वा भूमि के बाबत् दिनांक 04–01–2023 को स्थगन आदेश पारित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–03–2023 नियत की गई थी। उक्त दिनांक के पश्चात् अपीलांट् के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के बावजूद दस माह व्यतीत होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। जबकि इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 3(ए) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–Court to dispose of application for injunction within thrity days, - Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thrity days from the date on which the injunction was granted: and where it is unable so to do, it shall record its reasons for such inablity. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के उक्त आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना किया जाना परिलक्षित होता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो वादग्रस्त भूमि के बाबत् एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ अपीलांट् के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के उपरान्त भी उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की जा रही है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। लिहाजा अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर (शहर) का आदेश दिनांक 04–01–2023 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर